पटना फ्रंट पेज

सूर्यास्त (शनिवार) 5.18 बजे | सूर्योदय (रविवार) 5.50 बजे

शनिवार, 19 अक्टूबर, 2024

रेरा का फैसला • घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली, नियम लागू करने के लिए सरकार को भेजा प्रस्ताव

बिल्डर नहीं बना सके तो फ्लैट खरीदार मिलकर बनवा सकेंगे अपार्टमेंट

सिटी रिपोर्टर | पटना

लैप्स होने वाले आवासीय प्रोजेक्ट के निवेशकों को रेरा बिहार ने बड़ी राहत दी है। अगर कोई प्रमोटर तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने में विफल रहता है तो उसमें निवेश करने वाले उसे पूरा करा सकेंगे। इससे ऐसे लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई प्रोजेक्ट में लगाई है। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह और सदस्य एसडी झा की खंडपीठ ने अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना आईओबी नगर ब्लॉक-बी से संबंधित मामले में आदेश सुनाते हुए आवंटियों के संघ द्वारा शेष विकास कार्य स्वयं पूरा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस मामले को रेरा अधिनियम की धारा 8 के तहत राज्य सरकार को परामर्श के लिए भेज दिया। सरकार का जवाब मिलने के बाद आवंटियों के संघ को संबंधित प्रोजेक्ट का रेरा में निबंधन कराकर पूरा करने के लिए सौंप दिया जाएगा।

नियम पारित होने के बाद बनाना होगा एसोसिएशन

इस निर्णय से कई ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट उनके निवेशकों को मिल जाएंगे। प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में आदेश पारित होने के बाद संबंधित प्रोजेक्ट से जुड़े निवेशक एक एसोसिएशन बनाएंगे और राहत पाने के लिए रेरा में मामला दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद ही खुद प्रोजेक्ट पूरा करने की दिशा में काम कर सकते हैं।

पैसा वापस नहीं किया तो लेना पड़ा ऐसा निर्णय

श्वेता, गीता कुमारी, कृति कुमारी, मुकेश कुमार और डॉ. राणा, नागेंद्र कुमार सिंह सहित कई लोगों ने अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड को 8.25 लाख से 27.19 लाख तक की राशि का भुगतान किया था। लेकिन प्रमोटर तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने में विफल रहा। प्राधिकरण ने इसी परियोजना से संबंधित अन्य मामलों में धन वापसी के आदेश दिए थे। लेकिन प्रमोटर द्वारा इन आदेशों के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इस परियोजना का निबंधन 31 अगस्त, 2019 को समाप्त हो गया था। उसके बाद प्रमोटर ने परियोजना में कोई रुचि नहीं दिखाई। यहां तक कि निबंधन विस्तार के लिए अपने नक्शे को फिर से मान्य नहीं कराया। याचिका में आवंटियों ने अग्रणी आईओबी ब्लॉक-बी ओनर्स एसोसिएशन के गठन की स्वघोषणा प्रस्तुत की। इसके बाद पैनल इंजीनियर द्वारा शेष निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण ने प्रमोटर को पक्ष रखने का मौका दिया। लेकिन प्रमोटर न तो उपस्थित हुआ और न ही नोटिस का जवाब दिया। आखिरकार प्राधिकरण ने अपना फैसला सुनाया।